IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कैथल जिले के सीवन खण्ड में अध्यापकों तथा अभिभावकों का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

शकुन्तला देवी
(एम0 एड0) छात्रा
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय
कुरूक्षेत्र।

डॉ0 ज्योति खजूरिया
असिस्टैंट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय
कुरूक्षेत्र।

सारांश

सारांश :– शिक्षा मानव की समस्त स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण प्रगतिशील विकास है। अन्तः शिक्षार्जन करने वाला बालक सामान्य हो या विकलाँग, उसको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होना न्याय संगत है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एंव अनिवार्यः शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से इस उद्देश्य की प्रति के प्रयास चल रहे हैं। परन्तु आज भी प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति की आंशिक रूप से हो पाई है। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। जिसमें से एक प्रमुख कारण विकलाँग बच्चों के शिक्षा के प्रति समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण का आभाव है। विश्व जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग विकलाँग व्यक्तियों का है। जिसमें

विश्व की कुल जनसंख्या का आठवाँ भाग भारत में है। इस प्रकार विकलाँग वर्ग का प्रभाव आर्थिक व सामाजिक रूप से पड़ता है। विकालांग वर्ग भी समाज का ही अभिन्न अंग है। अतः इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि विकलांग वर्ग से समस्त बच्चों एवं व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाए। उनके उत्थान में सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा उन्हे भरपूर सहयोग प्रदान किया जाए।

भारतीय शिक्षा आयोग (1964–1967) के अनुसार विकलाँग बालकों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रमुख कार्य है। उसे उस सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण से समांजस्य स्थापित करने के लिए तैयार करना, जिसका निमार्ण सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि विकलाँग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली की ही एक अभिन्न अंग है।

क. इस शोध में 25 अध्यापक तथा 25 अभिभावकों को शामिल किया गया है। अध्यापकों तथा अभिभावकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है। इस शोध में शोधकर्ती द्वारा सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया है।

ख. इसमें शोधकर्ती द्वारा आंकडों को एकत्र करने के पश्चात प्रतिशत तकनीक लगाकर, आंकड़ों का विश्लेषण किया है तथा इसमें स्वय निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

इस शोध से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि हमारे समाल में आज समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों तथा अभिभावकों का समारात्मक दृष्टिकोण है। यदि विकलांग बच्चे सामान्य समुदाय के साथ रहते हैं तो विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा के लिए अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के पूर्वक कार्यक्रम के रूप में सन् 1975 में समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार के सामेकित शिक्षा योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अर्न्तगत

सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले विकलांग छात्रों को छात्रवृति व अतिरिक्त सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई गई थी। इसके साथ–साथ विशिष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हे अतिरक्त भत्ते (राशि) का भी प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में सभी बच्चों में समानता के लिए शिक्षा नामक अध्याय में विकालांग बच्चों व सामान्य बच्चों की शिक्षा का एकीकरण पर भी बल दिया गया है। यदि विकलांग बच्चे सामान्य समुदाय के साथ रहते हैं तो, विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा के लिए पृथक नहीं करना चाहिए बल्कि सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए।

प्रस्तावना :– शिक्षा मानव की सभी शक्तियों का पूर्ण प्रगतिशील विकास है। शिक्षा को प्राप्त करने वाला बालक सामान्य हो या विकलांग उसको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के पूर्वक कार्यक्रम के रूप में सन् 1975 में समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार के सामेकित शिक्षा योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अर्न्तगत सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले विकलांग छात्रों को छात्रवृति व अतिरिक्त सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई गई थी। इसके साथ–साथ विशिष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हे अतिरक्त भत्ते (राशि) का भी प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में सभी बच्चों में समानता के लिए शिक्षा नामक अध्याय में विकालांग बच्चों व सामान्य बच्चों की शिक्षा का एकीकरण पर भी बल दिया गया है। यदि विकलांग बच्चे सामान्य समुदाय के साथ रहते हैं तो, विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा के लिए पृथक नहीं करना चाहिए बल्कि सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए।

शिक्षा के सन्दर्भ में समावेशन का अर्थ विद्यालय की ऐसी पूर्ण रचना से है जिसमें विद्यालय सभी समुदाय को एक केन्द्र हो जहां सभी प्रकार के बालक शिक्षा ग्रहण कर सके। एक ऐसा विद्यालय जहां अध्यापक छात्र को सिखने के विभिन्न अवसर प्रदान करे। परन्तु समावेशी अध्यापक एक समावेशी विद्यालय बनाने में कोई प्रमापिकृत प्रावधान नहीं करता। समावेशी शिक्षा के मूल में अच्छा शिक्षणा, अभ्यास अध्यापक विद्यार्थी के मध्य अच्छे सम्बन्ध कक्षा के सभी बालकों की शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा बालकों के विभिन्न प्रकार के सर्वांगीण विकास में सहायता करना है। कक्षा में सभी बालकों का प्रर्दशन तभी

अच्छा हो सकता है। जब कक्षा समायोजन इस तरह से किया जाए की सभी प्रकार के बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा गया हो।

शोध समस्या का कथन :–

"कैथल जिले के सीवन खण्ड के अध्यापकों तथा अभिभावकों का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण"

❖ **शोध समस्या का महत्वः–**भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश की विचारधारा के अनुसार सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अधिकार है। चाहे वह प्रतिभाशाली हो अथवा बाधित हो। किसी भी रूप में जैसे शारीरिक बाधित, मानसिक मंदित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, शारीरिक अंग अस्थी दोषों से बाधित हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने व विकास का पूर्ण अधिकार है।

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सभी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कभी–कभी यह भिन्नताऐं इस सीमा तक पाई जाती है कि इन बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है।

समावेशी शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण की कमी कहीं न कहीं समुदाय में समावेशी शिक्षा के मुख्य घटक विद्यालय, परिवार और समुदाय इसके प्रति साकारात्मक दृष्टिकोण नहीं आपनाते।

भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति में यह बताया गया है कि समावेशी शिक्षा के प्रगति लोगों का नजरिया बेहद ही विनम्र कोटि का था, वहीं दिव्यांग बच्चों को समाज में एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था। दूसरी ओर शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की

परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। इसी के मध्यनजर शोधकर्ती ने अपने शोध के द्वारा वर्तमान समय में कैथल जिले के सीवन क्षेत्र के अध्यापकों तथा अभिभावकों का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण (नजरिया) का अध्ययन किया गया है।

2. अध्ययन के उद्देश्यः–

- ❖ अध्यापकों का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- ❖ अभिभावकों का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

3. अध्ययन की परिसीमाऐं :–

- ❖ यह शोध कार्य कैथल जिले के सीवन खण्ड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (पीड्ल), राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (सीवन), गुरू तेग बहादूर खालसा पब्लिक स्कूल (कैथल), हेरीटेज इंटरनैशनल स्कूल (खुराना) के 25 अध्यापकों तथा फिरोजपुर, मलिकपुर, सीवन तथा डोहर गाँव के अभिभावकों पर किया गया है।
- ❖ 25 अभिभावकों व 25 अध्यापकों के आंकड़े इकट्ठे किये गए।
- ❖ वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों के अध्यापकों के आंकडे इकट्ठे किए गए। यह शोधकार्य समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को जानने के लिए गया गया है।

आंकड़ों का संग्रह :–शोधकर्ती ने प्रश्नावली को 25 अध्यापकों व 25 अभिभावकों से अपने सामने भरवाया है, ताकि किसी प्रकार का सन्देह हो तो उसे तुरन्त दूर किया जा सके। सैकेण्डरी स्कूल के अध्यापकें व अभिभावकों पर प्रश्नावली प्रशासित की गई तथा प्रश्नावलीयों में स्पष्ट किया कि यह सूचना शोधकार्य के लिए एकत्रित की जा रही है तथा इसे गोपनीय रखा जाएगा। इस प्रकार सूचनादाता को विश्वास में लेकर शोधकर्ती ने विश्वसनीय आंकडे एकत्रित करने में सहायता मिली।

तकनीकी :–प्रस्तुत शोध में शोधकर्ती द्वारा स्वंय निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। जिसमें अध्यापकों तथा अभिभावकों से हाँ और नहीं में प्रतिपुष्टि को आंकड़ों के रूप में एकत्रित किया गया है।

सांख्यिकी तकनीकी :–प्रस्तत शोधकर्ती द्वारा अभिभावकों तथा अध्यापको से प्राप्त प्रतिपुष्टि को आंकड़ों के रूप में एकत्र किया गया है तथा उन्हे विश्लेषित कर प्रतिशत में बदला है।

आंकड़ों का विश्लेषण :– सभी प्रश्नो पर जितने हाँ अथवा नही के प्रतिक्रिया मिले, प्रत्येक प्रश्नावली के अनुसार उनको प्रतिशत सांख्यिकी तकनीक द्वारा विश्लेषित किया गया है। अतः प्रस्तुत शोध प्रबंध में संग्रहीत आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या प्रतिशत के आधार पर की गई है।

अध्यापक प्रश्नावली

1. अध्यापक का नाम : .....
2. उम्र : .....
3. शिक्षण योग्यता : .....
4. विद्यालय का नाम : .....

क्र0	प्रश्न	हाँ	नहीं
1	क्या आप दिव्यांग छात्रों व सामान्य छात्रों में परस्पर ताल–मेल स्थापित करने का प्रयास करते हैं?	92%	8%
2	क्या आप प्रत्येक छात्र की इच्छा–शक्ति, दृढ–संकल्प व कमियों से भलि–भांति परिचित हैं?	84%	16%
3	क्या आप निःशक्त बच्चों को समाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए, उन्हे प्रेरित करते हैं?	100%	
4	क्या आप कक्ष में बच्चों के अच्छे या बुरे प्रदर्शन के बारे में, उनके अभिभावकों से परि–चर्चा करते हैं?	76%	24%
5	क्या आप सामान्य छात्रों को दिव्यांग छात्रों के प्रवेश पर, उनका स्वागत करने को कहते हैं?	45%	55%
6	क्या आपके द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए अलग–अलग शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है?	72%	28%
7	क्या समावेशी शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय होने चाहिए?	100%	
8	क्या समावेशी शिक्षा से कक्षा के परीक्षा परिणाम में परिवर्तन आया है?	64%	36%

9	क्या आप इस बात से सहमत है कि सरकार समावेशी शिक्षा में तकनीकि शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा के लिए अच्छे अवसर व संसाधन अध्यापक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं?	48%	52%
10	क्या आपके द्वारा बच्चों में रटने की प्रवृति को कम करने का प्रयास किया जा रहा है?	72%	28%
11	क्या आपके द्वारा बच्चों का सर्वांगिण विकास किया जा रहा है?	88%	12%
12	क्या आपके द्वारा दृष्टि बाधित बच्चों को चित्र या आकृति बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है?	56%	44%
13	क्या आपका व्यवहार दिव्यांग बच्चों के प्रति मधुर व सहयोगात्मक है?	100%	0
14	क्या आपके द्वारा बच्चों को नैतिक मूल्यों जैसे अनुशासन, शिष्टाचार, बड़ों का सम्मान इत्यादि के बारे में सिखाया जाता है?	80%	20%
15	क्या आप ऐसे छात्रों की आवश्यकताओं व क्षमताओं को जानना चाहते है, जो अपने आपको असक्षम मानते है?	64%	36%
16	क्या कक्षा के सभी बच्चों के लिए स्कूल में विज्ञान तथा कम्प्यूटर की प्रयोगशाताऐं होनी चाहिए?	48%	52%
17	क्या विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को भी खेल–कूद या अन्य क्रिया–कलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं?	84%	16%
18	क्या स्कूल में दिव्यांग बच्चों को स्कूल प्रशासन या अध्यापकों द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाती है?	56%	44%
19	क्या आपके विद्यालय में होनहान छात्रों (दिव्यांग) हो ईनाम राशि प्रदान की जाती है?	96%	4%
20	क्या दिव्यांग बच्चों को स्कूल की ओर से उनके आवश्यकतानुसार सामान जैसे वर्दी, किताबें, साईकित, व्हील–चेयर इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है?	68%	32%

अध्यापक के हस्ताक्षर .....

अभिभावक प्रश्नावली

1. अभिभावक का नाम : .....
2. उम्र : .....
3. व्यवसाय : .....
4. स्थाई पता : .....

क्र0	प्रश्न	हाँ	नहीं
1	क्या आप अपने बच्चे के सामान्य विद्यालय में अध्ययन से सन्तुष्ट है?	92%	8%
2	क्या आपके बच्चे विद्यालय में आने–जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है?	84%	16%
3	क्या अध्यापक आपके बच्चे का मूल्यांकर करते समय लचीला व्यवहार करते हैं?	100%	
4	क्या आप समय–समय पर अपने बच्चे की शैक्षिक विका सम्बंधी जानकारी उनके अध्यापकों से लेते हैं?	76%	24%
5	क्या आपका बच्च पूरे मनोयोग के साथ पाठ्य सहगामी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं?	44%	56%
6	क्या आप अपने बच्चे को सामान्य बच्चों के विद्यालय में भेजने में सहजता महसूस करते है?	72%	28%
7	क्या आपके बच्चे को सरकार द्वारा छात्रवृति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?	52%	48%
8	क्या आपके बच्चे के लिए विद्यालय में खेल–कूद या अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है?	60%	40%
9	क्या आपका बच्च किसी भी कार्य को करने में तत्पर रहता है?	68%	32%
10	क्या आपका बच्चा स्कूल से प्राप्त शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों को दैनिक जीवन में अमल में लाता है?	80%	20%
11	क्या आपका बच्चा अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकता है?	56%	44%
12	क्या आपका बालक उचित व अनुचित में अन्तर करने में सक्षम?	64%	36%
13	क्या आपके बच्चें की विद्यालय में चिकित्सा जांच की जाती है।	12%	88%
14	क्या आपके बच्चों को विद्यालय में पौष्टिक आहार वाला भोजन (मिड डे मिल) मिलता है?	28%	72%
15	क्या आप नई शिक्षा नीति से पूर्ण रूप से अवगत है?	12%	88%
16	क्या आपके अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में बेहतर सुधार किया जा सकता है?	48%	52%
17	क्या आपके बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल होने चाहिए?	24%	76%
18	क्या आपके बच्चों को समय–समय पर विद्यालय की ओर से किन्ही ऐतिहासिक स्थानों की भ्रमण–यात्रा कराई जाती है।	68%	32%

19	क्या आपके बच्चों के अध्यापक, आपसे आपके बच्चों के सन्दर्भ में विचार विमर्श करते हैं?	88%	12%
20	क्या आपके बच्चों को लाने व ले जाने के लिए स्कूल की तरफ से बस सुविध मुहैया कराई जाती है?	92%	08%

अभिभावक के हस्ताक्षर .....

निष्कर्ष :–आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करने के दौरान शोधकर्ती ने सीवन खण्ड के अर्न्तगत आने वाले वरिष्ठ माध्यमित विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों व बच्चों के अभिभावकों के दृष्टिकोण के बारे में सर्वे करते हुए, उनकी प्रति–पुष्टि को प्राप्त किया है। जिसका वर्णन शोधकर्ती ने दो भागों में किया है।

अध्यापकों का दृष्टिकोण :–इस भाग में शोधकर्ती द्वारा सर्वे के दौरान यह पाया कि लगभग 80 प्रतिशत अध्यापकों ने समावेशी शिक्षा को समाज एवं विकलांग बच्चों के लिए महत्वपूर्ण तथा सामान्य विद्याल में समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए, इसे विद्यालय का ही एक अभिन्न अंग बताया है। इसके साथ–साथ अध्यापकों द्वारा यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा की शुरूआत सामान्य विद्यालय में की जानी चाहिए तथा सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा की शुरूआत सामान्य विद्यालय में की जानी चाहिए तथा सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा व विकालांग बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कम्प्यूटर, विज्ञान तथा व्यावसायिक प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाना चाहिए। विद्यालय में विकलांग बच्चों को उनकी सुविधाजनक सामग्री जैसे पुस्तकें, नोटबुक, वर्दी, मूक बधिर बच्चों के लिए साईन बुक, बहरे बच्चों को सुनने वाली मशीन, दिव्यांग बच्चों के लिए बैशाखी या तीन पहिए वाली साईकिल इत्यादि को सरकार द्वारा मुहैया कराया जाना चाहिए। शेष 20 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि समावेशी शिक्षा की उत्तम शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विकलांग बच्चों का सर्वांगिण विकास किया जा सके।

अभिभावकों का दृष्टिकोण :–इस सन्दर्भ में लगभग 76 प्रतिशत अभिभावकों का यह मानना था कि, शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के सर्वांगिण विकास हेतु उन्हे सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे उनका मनोबल व आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सके इसके साथ–साथ कुछ अभिभावकों का यह कहना था कि, उनका बच्चा सामान्य स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर व्यावसायिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपने आपका भविष्य सुरक्षित एवं मजबूत महसूस करता है। कुछ अभिभावकों का यह भी कहना था कि सरकार द्वारा भी शारीरिक तौर पर बाधित बच्चों के उत्थान हेतु विशेष प्रकार के अभियान चलाने चाहिए और उनकी आवश्यकातानुसार सामग्री या निर्धारित राशि मुहैया कराई जानी चाहिए। शेष 24 प्रतिशत अभिभावकों का यह मानना था कि मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष प्रकार की विद्यालयों की स्थापना सरकार द्वारा किए जाने चाहिए, जहां पर विकलांग बच्चों की शिक्षा के साथ–साथ उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है।

शैक्षिक निहितार्थ :–इस शोध के दौरान शोधकर्ती द्वारा समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न निहितार्थों पर प्रकाश डाला गया। जो कि निम्नलिखित हैं:–

- सभी के लिए शिक्षा नीति को सफल बनाना।
- समावेशन के माध्यम से सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, ताकि प्रत्येक बालक अपनी गति व क्षमता के अनुसार बिना किसी बोझ के शिक्षा के मूल्यों को अर्जित कर सके।
- इसके माध्यम से समाज के निःशक्तों को उनका खोया हुआ स्थान प्रदान करा सके।
- शिक्षा के माध्यम से निःशक्तों को इस योग्य बनाना कि, वे समाज में स्वाभिमान एवं स्वालम्बी बन सके।
- समाज में दिव्यांग बच्चों के प्रति बढ़ रहे विभन्न प्रकार के शोषण की रोकथाम की जा सके।
- समावेशन केवल शिक्षा तक ही सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक स्तर पर किया जा सके।

सुझाव :–शोधकर्ती के द्वारा समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं।

- समावेशी शिक्षा के उत्थान के लिए सर्वप्रथम केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाने चाहिए और इसका प्रसारण टी0वी0 अथवा रेडियो के माध्यम से करना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति व प्रधानाचार्य को विशेष प्रयास करने चाहिए।
- गांव व कस्बों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अध्यापकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रथ सूची

1. भारतीय संविधान (1950) भारत सरकार।
2. आर0सी0आई0 एक्ट (1992) भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. पी0डब्ल्यू0डी0 (1995) भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. लिनुएसा, मारिया क्लेंमेण्ट (1996) एजुकेशनल प्राविजंस एण्ड प्रौक्टिसेस फार लरनर्स डिसैबिलिटीज : युनिवर्सीटी आफ सलामानका, स्पेन।
5. पांडेय, के0पी0 (2001) शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
6. यादव, एच0एस0 (2001) समावेशी शिक्षा टंडन पब्लिकेशन, लुधियाना।
7. झा, मदन मोहन (2003) अनुसंधान की विधि शास्त्र, हिन्दी ग्रंन्थ अकादमी, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप–रेखा (2005) एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली।
9. मुखोपाध्याय, एस0 (2005) रीथिकिंग अबाउट इंक्लूजन : इमर्जिंग एरिया पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली।
10. नेशनल पॉलिसी फॉर प्रसेंस विद डिसेबिलिटी (2006) भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. कपिल, एच0के0 (2009) अनुसंधान विधियां एच0पी0 भार्गव बुक हाउस, आगरा।
12. निशक्त व्यक्ति अधिकारी अधिनियम (2016) भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. लिमये, संस्था (2016) विकलांगजनों का सामाजिक समावेशन, मुद्दे रणनीतिया योजना मई 2016 पृष्ठ 25–27।

नई शिक्षा नीति (2020) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार।